दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

बनाम

इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन और अन्य

(2015 की सिविल अपील संख्या 2932)

17 मार्च, 2015

[न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आर भानुमती]

भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961–आरआर 3, 4, 4(2)– बैठक के कार्यवृत्त, वैधानिक विनियम यदि अवहेलना की जा सकती है–विनियमन 10 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ता ने 10 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान में चूक के लिए प्रतिवादी नंबर 1 एयरलाइंस के विमानों को दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर रोक–विमान मालिकों द्वारा चुनौती-रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हवाईअड्डा संचालकों द्वारा विमान मुक्त करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई-हाईकोर्ट ने बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप पार्किंग शुल्क का भुगतान करने पर विमान को छोड़ने का आदेश दिया–अपील पर अभिनिर्धारित: बैठक के कार्यवृत्त को "केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश" के रूप में रखने के लिए, जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल है या जिसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारतीय हवाईअड्डे प्राधिकरण पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है, संबंधित मंत्रालय द्वारा मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य शर्त थी-इसे केवल नागरिक उड्डयन, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड आदि के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है–तथ्यों के आधार पर, बैठक के कार्यवृत्त में वित्त विभाग की सहमति नहीं थी और न ही संबंधित मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि या अनुमोदन किया गया था–ऐसे निर्देश अनुच्छेद 77 के तहत बनाए गए कामकाज के नियमों के

संदर्भ में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी निर्णय के अनुसार जारी नहीं किए गए थे–जब तक बैठक के मिनटों में अनुच्छेद 77(3) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता और इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना संबंधित व्यक्ति को नहीं दी जाती, तब तक उसे रिट याचिका में निर्देश जारी करके लागू नहीं किया जा सकता था–इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया गया–भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994–धारा 22 (आई) (ए)–भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (हवाई अड्डों का प्रबंधन) विनियम, 2003–विनियम 10–भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 77

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित:

1.1 भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 के नियम 3, 4, 4(2) के संयुक्त वाचन से बैठक के कार्यवृत्त को केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश के रूप में परिवर्तित किया जाना है जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल है या जिसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण में है, यह आवश्यक था वित्त विभाग की सहमति के बाद ही आगे बढ़ें। इसे केवल नागरिक उड्डयन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड आदि के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद कामकाज के नियमों के मुताबिक बैठक के मिनट्स को संबंधित मंत्री के समक्ष रखा जाना चाहिए था। दिनांक 20.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त को "केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश" के रूप में रखने के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति एक अनिवार्य शर्त थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह के किसी भी अनुमोदन के अभाव में, मात्र बैठक के कार्यवृत्त अपीलकर्ता को कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं देंगे। {पैरा 24] [1057-सी-जी]

1.2 यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि बैठक के मिनटों में वित्त विभाग की सहमति थी और संबंधित मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि या अनुमोदन किया गया था और ऐसे निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत बनाए गए कामकाज के नियमों के संदर्भ में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी निर्णय के अनुसार जारी किए गए नहीं दिखाए गए हैं। बैठक के कार्यवृत्त केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश नहीं बनते हैं जब तक कि इसे संविधान के अनुच्छेद 77 (2) के तहत प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति के नाम पर एक आदेश जारी करके अनुमोदित और कार्यान्वित नहीं किया जाता है। , [पैरा 25] [1058-डी-एफ]

1.3 जब तक कि बैठक के कार्यवृत्त के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 77(3) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता और इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना संबंधित व्यक्ति को नहीं दी जाती, तब तक उसे निर्देश जारी करके एक रिट याचिका में लागू नहीं किया जा सकता था। मामले की गुणवत्ता पर गौर किए बिना, बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में मामले का निपटारा करने में उच्च न्यायालय सही नहीं था और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। {पैरा 28] [1060-सी-डी]

शांति स्पोर्ट्स क्लब और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2009 (13) एससीआर 710; (2009) 15 एससीसी 705; संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1968) 1 एससीआर 111; सिक्किम राज्य बनाम दोरजी शेरिंग भूटिया और अन्य 1991 (3) एससीआर 633; (1991) 4 एससीसी 243; गुलाबराव केशवराव पाटिल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 1995 (6) पूरक एससीआर 97; (1996) 2 एससीसी 26; एमआरएफ. लिमिटेड बनाम मनोहर पर्रिकर और अन्य 2010 (5)

एससीआर 1081; 2010 (11) एससीसी 374; हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्ब्रूई और अन्य (1973) 3 एससीसी 889-संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

2009 (13) एससीआर 710 संदर्भित किया गया पैरा 8

(1968) 1 एससीआर 111 संदर्भित किया गया पैरा 8

1991 (3) एससीआर 633 संदर्भित किया गया पैरा 20

1995 (6) पूरक एससीआर. 97 संदर्भित किया गया पैरा 21

2010 (5) एससीआर 1081 संदर्भित किया गया पैरा 23

(1973) 3 एस. सी. सी. 889 संदर्भित किया गया पैरा 27

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 2015 से सिविल अपील सं 2932

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के डब्ल्यू पी (सी) सं 7767 में दिनांक 08.05.2013 के निर्णय और आदेश से।

गोपाल जैन, चिन्मयी चंद्र , वैभव चौधरी, सी. डी. सिंह अपीलार्थी की ओर से।

अतुल नंदा, के. राधाकृष्णन, नीरज शर्मा, आलोक तिवारी (दुआ एसोसिएट्स के लिए), रमीजा हकीम, पी. गोयल, (लॉ एसोसिएट्स के लिए), सुनीता रानी सिंह, आर. के. वर्मा, बी कृष्ण प्रसाद उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति आर. भानुमति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 7767/2012 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 8.5.2013 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी सं 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति प्रदान की गई थी। विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या बैठक के कार्यवृत्त वैधानिक नियमों की अवहेलना कर सकते हैं।

3. अपीलकर्ता दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जो जीएमआर कंपनियों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, फ्रापोर्ट जर्मनी और एरामन मलेशिया के बीच एक संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक भागीदारी है। अपीलकर्ता को 1.5.2008 को महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) द्वारा हवाई अड्डा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और वह दिल्ली हवाई अड्डे के संबंध में एक सक्षम प्राधिकारी है जो दिल्ली हवाई अड्डे के उन्नयन, रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है। अपीलकर्ता को विमान के अवतरण, आवास या पार्किंग के लिए शुल्क, किराया आदि वसूलने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ('एएआई अधिनियम' का संक्षिप्त रूप) की धारा 22 (i) (ए) के तहत शक्ति प्रदान की गई है। प्रतिवादी सं 1 कैलिफ़ोर्निया, यूएसए के कानूनों के तहत निगमित एक लीजिंग कंपनी है, जो विमान के इंजन और संबंधित उपकरणों को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है।

4. किंगफिशर एयरलाइंस (केएएल) वाणिज्यिक एयरलाइंस का परिचालन कर रही थी और विभिन्न प्राधिकरणों का बकाया भुगतान करने में असमर्थ थी। आठवे प्रतिवादी-किंगफिशर एयरलाइंस (केएएल) के अनुसूचित एयरलाइन लाइसेंस पंजीकरण

संख्या वीटी-केएफटी वाले विमान के संबंध में पार्किंग, अवतरण और आवास शुल्क का भुगतान न करने के कारण अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया था, जो पहले किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) में पंजीकृत था और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा केएएल को पट्टे पर दिया गया था, उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर निरुद्ध रख दिया गया और बाद में 27.12.2012 को अपंजीकृत कर दिया गया। एएआई अधिनियम की धारा 22 हवाई अड्डे पर अवतरण, आवास और पार्किंग शुल्क लगाने का प्रावधान करती है। ये शुल्क (सभी आठ निरुद्ध रखे गए विमानों के लिए कुल 10,50,51,052.77 रुपये की राशि) और अन्य वैधानिक शुल्क और बकाया (सभी आठ निरुद्ध रखे गए विमानों के लिए 12,4,08,706.57 रुपये की राशि) विमान से जुड़े हुए हैं और उन्हें विमान के नियंत्रण वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाना है विनियमन 10 के तहत है।

5. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ('डायल' के लिए संक्षिप्त), भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ('एएआई' के लिए संक्षिप्त) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ('एमआईएएल' के लिए संक्षिप्त) द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 से संबंधित विमानों को निरुद्ध रखने के आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (हवाईअड्डों का प्रबंधन) विनियम, 2003 के वायर्स विनियमन 10 को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

6. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 26.3.2013 को हवाईअड्डा संचालकों द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के विमानों की रिहाई के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने वालों में (ए) नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमसीए), (बी) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), (सी) नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए), (डी) भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई), (ई) दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड (डायल), (एफ) मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.

लिमिटेड (एमआईएएल) के प्रतिनिधि शामिल थे। विस्तृत चर्चा के बाद विभिन्न निर्णय लिये गये। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि:-

> "(i) डीजीसीए, अब से, शेष केएफए विमानों के पंजीकरण रद्द करने से पहले संबंधित हवाई अड्डा ऑपरेटरों के विचार मांगेगा;
>
> (ii) सीबीईसी और डीजीसीए डीजीसीए के साथ पंजीकृत शेष केएफए विमानों की सूची का मिलान करेंगे ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या ये विमान पूरी तरह से वित्तीय/परिचालन पट्टे के तहत हैं या उनमें से कुछ पट्टेदार और केएफए के संयुक्त स्वामित्व में हैं;
>
> (iii) संबंधित हवाई अड्डा संचालक सभी गैर-पंजीकृत विमानों को संबंधित मालिकों/पट्टादाताओं को तुरंत रिहा कर देंगे ताकि ये विमान देश से बाहर उड़ान भर सकें। वे पंजीकरण रद्द करने की तारीख से मालिकों/पट्टेदारों से पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि इनमें से कोई अपंजीकृत विमान मालिकों/पट्टादाताओं और हवाई अड्डा संचालक के बीच किसी अदालती मामले का विषय है, तो हवाई अड्डा न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करेगा।"

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.5.2013 के आक्षेपित आदेश के तहत सभी हवाई अड्डों को 26.3.2013 को हुई बैठक में लिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसार पार्किंग शुल्क के भुगतान पर 13.5.2013 तक विमान रिहा करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता-डायल ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील गोपाल जैन ने कहा कि बैठक के कार्यवृत्त एक कार्यकारी निर्णय की प्रकृति का है और यह शुल्क का

भुगतान न करने पर विमानों को रोकने की उनकी वैधानिक शक्ति को कम कर देता है और कहा कि बैठक का विवरण विनियमन 10 और अन्य वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।. यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त केंद्र सरकार द्वारा पारित कोई सामान्य या विशेष आदेश नहीं है और इसमें वैधानिक बल नहीं है। शांति स्पोर्ट्स क्लब और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2009) 15 SCC 705 और संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1968) 1 SCR 111 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से वैधानिक नियमों में संशोधन या` उनका स्थान नहीं ले सकती है और उच्च न्यायालय ने 26.3.2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में विमान को रिहा करने का निर्देश देकर गलती की है।

9. हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नीरज शर्मा को सुना है। हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

10. एएआई अधिनियम की धारा 22 (i) (ए) विमानों की अवतरण, आवास या पार्किंग के लिए शुल्क, किराया आदि वसूलने की शक्ति प्रदान करती है। लैंडिंग, आवास और पार्किंग के लिए ये शुल्क हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ('एईआरए' का संक्षिप्त रूप) द्वारा हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान तय किए जाते हैं। एएआई अधिनियम की धारा 42(2)(ओ) प्राधिकरण को आम तौर पर हवाई अड्डे या नागरिक अंतःक्षेत्र के कुशल और उचित प्रबंधन के लिए एएआई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत नहीं होने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है। विनियम 42 को संदर्भित करना प्रासंगिक है जो इस प्रकार है: -

"42. (1) प्राधिकरण उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए ऐसे नियम बना सकता है जो इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों से असंगत न हों, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रावधान आवश्यक या समीचीन हैं।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं-.....

(ओ) आम तौर पर हवाई अड्डे या नागरिक अन्तःक्षेत्र के कुशल और उचित प्रबंधन के लिए।"

11. विनियम 42(2)(ओ) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एएआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (हवाई अड्डों का प्रबंधन) विनियम, 2003 ('एएआई विनियम' का संक्षिप्त रूप) अधिसूचित किया। इस अपील में, हम विनियम 10 से संबंधित हैं जो निम्नानुसार हैः-

"10. जब तक अन्यथा अधिनियम के तहत या केंद्र सरकार द्वारा लिखित में एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, हवाई अड्डे के गतिविधि क्षेत्र का उपयोग, विमान ऐसे अवतरण, पार्किंग या आवास शुल्क या प्रभार के भुगतान के अधीन होगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा लगाया जाता है। अपेक्षित शुल्क या प्रभार का भुगतान न करने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी को निरुद्ध कर लेने का या प्राधिकरण को शुल्क या प्रभार का भुगतान होने तक विमान का प्रस्थान रोक देने का अधिकार होगा दें, जिसमें वर्तमान और संचित बकाया शामिल हो सकते हैं।"

12. 'सक्षम प्राधिकारी' को विनियम 3(8) में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार हैः-

"8. 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है प्राधिकरण की किसी भी शक्ति के प्रयोग के संबंध में अध्यक्ष, और अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कोई भी सदस्य, हवाई अड्डा निदेशक या हवाई अड्डा नियंत्रक या किसी हवाई अड्डे या नागरिक अंतःक्षेत्र का प्रभारी या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी।"

अपीलकर्ता दिल्ली हवाई अड्डे के संबंध में सक्षम प्राधिकारी है जिसे 1.5.2008 को डीजीसीए से हवाई अड्डा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। एएआई की धारा 22 के साथ पठित धारा 42 (2)(ओ) और विनियम 10 हवाई अड्डा संचालक के विमान के स्वामित्व की परवाह किए बिना जब तक शुल्क या प्रभार का भुगतान नहीं किया जाता है विमान को निरुद्ध करने या प्रस्थान को रोकने के अधिकार सहित बकाया राशि वसूलने और सुनिश्चित करने के अधिकार के संबंध में एक पूर्ण संहिता है। शुल्क और बकाया राशि विमान से जुड़ी होती है। अपीलकर्ता-डीआईएएल के अनुसार, उसे विमानों को निरुद्ध करने या उड़ान को रोकने का अधिकार है शुल्क या प्रभार, इस मामले में अवतरण, आवास और पार्किंग शुल्क जो एईआरए द्वारा निर्धारित किए जाते हैं का भुगतान होने तक और दिनांक 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त विनियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

13. विनियमन 10 के तहत, सक्षम प्राधिकारी के पास विमान को निरुद्ध करने या विमान के प्रस्थान को रोकने का अधिकार है "जब तक अन्यथा अधिनियम द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।" अपीलकर्ता के मुताबिक, नियम के तहत अपीलकर्ता को किसी विमान को निरुद्ध करने या रोकने का अधिकार है और दिनांक 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त केंद्र सरकार द्वारा पारित कोई सामान्य या विशेष आदेश नहीं है और यह विनियमन 10 के तहत भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

14. भारतीय संघ के अनुसार, सरकार के पास एएआई अधिनियम की धारा 40 के आधार पर निर्णय लेने का एकमात्र विशेषाधिकार है और वर्तमान मामले में 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त केंद्र सरकार का निर्णय है जो कानून के अनुसार है.

15. उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त पर भरोसा किया है। वह न तो इस सवाल पर गया है कि क्या बैठक के कार्यवृत्त, जहां केंद्र सरकार द्वारा एएआई अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिए गए थे और न ही इसने विनियमन 10 के दायरे की जांच की थी। उच्च न्यायालय ने केवल बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख किया था और याचिकाकर्ता के वकील के बयान को दर्ज करते हुए कि बैठक के कार्यवृत के अनुसार निर्देशों का अनुपालन किया गया है, रिट याचिका का निपटारा कर दिया था। यह देखना होगा कि क्या 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त केंद्र सरकार द्वारा पारित एक सामान्य आदेश या विशेष आदेश के बराबर होगा और क्या यह विनियमन 10 के तहत भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की शक्तियों को खत्म कर देगा।

16. भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, के नाम पर की जानी आवश्यक हैं।

17. भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (1) में यह प्रावधान है कि जब भी किसी आदेश या दस्तावेज के माध्यम से कार्यकारी कार्रवाई की जानी हो, तो इसे राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाना व्यक्त किया जाएगा, जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है।. भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) में यह प्रावधान है कि

राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए या निष्पादित किए गए और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए गए आदेश या दस्तावेज़ की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया कोई आदेश या दस्तावेज़ नहीं है।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद *77* के खंड (3) के तहत, राष्ट्रपति को सरकारी कामकाज के अधिक सुविधाजनक लेनदेन और मंत्रियों के बीच इसके आवंटन के लिए नियम बनाने हैं। इसी तरह का एक प्रावधान अनुच्छेद 166(3) में है जो राज्यपालों को राज्यों में सरकारी कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। उन सभी मामलों में जिनमें राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से इस संविधान द्वारा या इसके तहत उसे प्रदत्त अपने कार्यों का पालन करता हैं, वह कामकाज के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए और क्रमशः अनुच्छेद *77*(3) और 166(3) के अनुसार उक्त कामकाज के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाकर ऐसा करता है। इसके अलावा, मंत्रियों के बीच व्यापार और आवंटन के नियम अनुच्छेद 53(1) और 154(1) से संबंधित हैं कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल का अर्थ है राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। न तो अनुच्छेद *77*(3) और न ही अनुच्छेद 166(3) शक्ति के किसी प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है।

19. भारत सरकार (कामकाज का लेन-देन) नियम, 1961 के तहत, सरकारी कामकाज को मंत्रियों के बीच विभाजित किया जाता है और विशिष्ट कार्यों को विभिन्न मंत्रालयों को पुनः आवंटित किया जाता है। इसलिए प्रत्येक मंत्रालय उन कार्यों के संबंध में आदेश या अधिसूचना जारी कर सकता है जो उसे कामकाज के नियमों के तहत आवंटित किए गए हैं। हम उपयोगी रूप से भारत सरकार (कामकाज का लेन-देन)

नियम, 1961 का संदर्भ ले सकते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के उप-खंड (3) के प्रावधानों को प्रयोग में लेते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए दिनांक 1.12.2014 को किए गए संशोधन द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया है। नियम 3 में प्रावधान है कि इसके तहत किए गए कुछ अपवादों के अधीन, भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1951 के तहत एक विभाग को आवंटित सभी कामकाज प्रभारी मंत्री के सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा या उनके अधीन निपटान किया जाएगा। इसके अलावा नियम 4 अंतर-विभागीय परामर्श का प्रावधान करता है। नियम 4(1) निम्नानुसार हैः

> "4 अंतर-विभागीय परामर्श-(1) जब किसी मामले का विषय एक से अधिक विभागों से संबंधित हो, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा या आदेश जारीनहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे सभी विभाग सहमत न हो जाएं, या ऐसा न होने पर मंत्रिमंडल द्वारा या उसके अधिकार के तहत उस पर कोई निर्णय न लिया जाए।"

नियम 4 का उप-खंड (2) जो तत्काल मामले में बहुत प्रासंगिक है, सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

जब तक कि मामला वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय को मंजूरी देने या उचित या पुनः विनियोग करने के अधिकार से पूरी तरह से कवर न हो वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना कोई भी विभाग ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जो-

> (क) जिसमे राजस्व का कोई परित्याग शामिल है या कोई ऐसा व्यय शामिल है जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) ...

(ग) ...

(घ) अन्यथा इसका वित्तीय असर होगा, चाहे इसमें व्यय शामिल हो या नहीं;"

20. सिक्किम राज्य बनाम दोर्जी शेरिंग भूटिया और अन्य (1991) 4 SCC 243 के मामले में, इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

"14....सरकारी कामकाज संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए कामकाज के नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। उक्त नियमों के तहत सरकारी कामकाज को मंत्रियों के बीच विभाजित किया जाता है और विभिन्न मंत्रालयों को विशिष्ट कार्य आवंटित किए जाते हैं। इसलिए, प्रत्येक मंत्रालय उन कार्यों के संबंध में आदेश या अधिसूचना जारी कर सकता है जो उसे कामकाज के नियमों के तहत आवंटित किए गए हैं।"

21. गुलाबराव केशवराव पाटिल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1996) 2 SCC 26 में इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

"14...इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि कामकाज के नियमों के तहत एक मंत्री का निर्णय तब तक अंतिम या निर्णायक नहीं होता जब तक कि अनुच्छेद 166 के खंड (1) और (2) के संदर्भ में आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है। कार्रवाई या निर्णय को कामकाज के नियमों के तहत निर्धारित तरीके से राज्यपाल के नाम से व्यक्त करने और संबंधित पक्ष को सूचित करने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा फ़ाइल मँगवाने और स्वयं इसकी जाँच करने और निर्णय लेने के लिए यह हमेशा आवश्यक निहितार्थ के लिए खुला रहेगा, हालाँकि यह विषय सरकार के कामकाज के सुविधाजनक लेन-देन के लिए एक विशेष मंत्री को आवंटित किया गया था। यद्यपि यह विषय विशेष रूप से मंत्री

को आवंटित किया गया है, मुख्यमंत्री की राज्यपाल के प्रति जिम्मेदारी और लोगों के प्रति जवाबदेही के कारण, इसमें मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित फ़ाइल को मंगाने की शक्ति निहित है। एक मंत्री को विषय आवंटित करने का उद्देश्य नामित अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कामकाज के सुविधाजनक लेनदेन के लिए है...।"

22. नियम 3 के अनुसार दिनांक 26.3.2013 की बैठक के अनुसार लिया गया कथित निर्णय प्रभारी मंत्री के सामान्य या विशेष निर्देशों के तहत स्वीकृत होना चाहिए था। चूंकि इस मामले में, विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व वाले विभिन्न विभागों की हिस्सेदारी का संबंध है, नियम 4 का प्रावधान लागू होगा यानी कथित निर्णय मंत्रिमंडल की संबंधित समिति द्वारा लिया जाना चाहिए था। चूँकि, कथित निर्णय में वित्तीय भार भी शामिल है, इसमें वित्त विभाग की भी सभी सहमति होनी चाहिए। जाहिर तौर पर बैठक के कार्यवृतों को कथित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लिखित आदेश बताया गया और बाद में सभी संबंधितों को सूचित किया गया, नियम 4 के अनुसरण में निपटान नहीं किया गया यानी न तो निर्णय को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई और न ही वित्त विभाग की सहमति ली गई।

23. इस स्तर पर, एमआरएफ लिमिटेड बनाम मनोहर पर्रिकर और अन्य [010 (11) SCC 374] में निर्धारित अनुपात पर विचार करना उचित है, जिसमें अनुच्छेद 166 (3) का दायरा विचाराधीन था और यह देखते हुए कि अनुच्छेद 166(3) और 77(3) के तहत बनाए गए कामकाज के नियम अनिवार्य हैं, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:-

> "67.....मौजूदा मामले में, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत गोवा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए कामकाज के नियमों के संदर्भ में इस मुद्दे पर अपीलकर्ताओं की दलीलों की जांच करने की आवश्यकता है।

68. गोवा सरकार के कामकाज के नियम 7(2) में कहा गया है कि, एक प्रस्ताव जिसके लिए उक्त नियम के तहत वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन जिसमें वित्त विभाग सहमत नहीं है, उस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, जब तक कि मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय नहीं ले लिया हो। इस नियम की शब्दावली महाराष्ट्र के कामकाज के नियमों के नियम 9 के प्रावधानों से भिन्न है और इसे गोवा सरकार के कामकाज के नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि सरकार का काम कामकाज के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके नियम 7(2) के तहत, वित्त विभाग की सहमति एक पूर्ववर्ती शर्त है।

69. इसी तरह, कामकाज के नियमों के नियम 6 में कहा गया है कि, राज्यपाल के नाम पर किसी भी विभाग द्वारा पारित सभी कार्यकारी आदेशों या नियमों के अनुसार राज्यपाल या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया अनुबंध के लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, चाहे ऐसे आदेश या अनुबंध किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा उसके प्रभार के तहत विभाग से संबंधित किसी मामले पर या मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप या अन्यथा अधिकृत किए गए हैं। इस नियम के अनुसार राज्य के राज्यपाल के नाम से किसी भी विभाग से जारी किए गए कार्यकारी आदेश की जानकारी मंत्रिपरिषद को होनी चाहिए ताकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके।

70. इसके अलावा, कामकाज के नियमों के नियम 7 में यह आवश्यक है कि कोई भी विभाग वित्त विभाग की सहमति के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल हो या व्यय शामिल हो जिसके

लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो या भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या रियायत, अनुदान, पट्टा या खनिजों या वन अधिकारों या जल, बिजली या किसी सुविधा या विशेषाधिकार के अधिकारों के संबंध में अनुज्ञप्ति या अन्यथा वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं, चाहे इसमें व्यय शामिल हो या नहीं।

71. गोवा सरकार के कामकाज के नियमों के नियम 7, 3 और 6 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य होगा कि कोई भी प्रस्ताव जो राजस्व के व्यय या परित्याग से संबंधित राज्य सरकार के निर्णय में परिवर्तित होने की संभावना है जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या कोई मुद्दा जिसमें रियायत शामिल है या अन्यथा राज्य पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है, उसे केवल वित्त विभाग की सहमति के बाद ही संसाधित किया जाना आवश्यक है और इसे केवल प्रभारी मंत्री के स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। कार्यपद्धति या प्रक्रिया यहीं नहीं रुकती। वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद और/या मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाना है और इस संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद इसका परिणाम राज्य सरकार के निर्णय के रूप में सामने आएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर अपीलकर्ताओं की दलीलों को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

72. उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि कामकाज के नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 166 के प्रावधानों का आदेश पूरा हो। इसलिए, यह माना जाता है कि इन नियमों का अनुपालन न करने से अकेले संबंधित मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय ख़राब नहीं होते हैं, परिणाम विनाशकारी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सरकार के निर्णयों

में मंत्रिपरिषद या कम से कम मुख्यमंत्री जो परिषद का प्रमुख होता है, के सामूहिक विवेक को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तथ्य यह कि अकेले मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों पर अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई की गई थी, इससे वे राज्य सरकार के निर्णय नहीं बन जाएंगे, भले ही राज्य सरकार ने पर्याप्त समय के लिए चुप रहना चुना हो या राज्य सरकार के संबंधित सचिव ने कामकाज के नियम 46 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। यदि नियमों के उल्लंघन में लिए गए किसी व्यक्तिगत मंत्री के प्रत्येक निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 154 के अर्थ के तहत राज्य सरकार के निर्णय के रूप में माना जाता है, तो परिणाम अराजक होगा। मुख्यमंत्री महज एक प्रमुख व्यक्ति बनकर रह जाएंगे और प्रत्येक मंत्री कामकाज के नियमों को ताक पर रखकर अपने हिसाब से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने की मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना असंभव हो जाएगा। इसलिए, अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि कामकाज के नियम निर्देशिका हैं।

73. हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से भी सहमत हैं और उसका समर्थन करते हैं कि कामकाज के नियम 3, 6, 7 और 9 अनिवार्य हैं, न कि निर्देशिका और किसी भी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा उनके उल्लंघन में लिए गए किसी भी निर्णय को राज्य सरकार का निर्णय नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय के कई निर्णयों से हमारा दृष्टिकोण मजबूत हुआ है।" (जोर दिया गया)

24. नियम 3, 4, 4(2) के संयुक्त वाचन से और उपरोक्त निर्णयों के आलोकमें, बैठक के कार्यवृत्त को केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश के रूप में परिवर्तित किया जाना है जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल है या जिसका

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण में है, इसे वित्त विभाग की सहमति के बाद ही आगे बढ़ाना आवश्यक था। इसे केवल नागरिक उड्डयन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड आदि के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद कामकाज के नियमों के मुताबिक बैठक के कार्यवृत्त को संबंधित मंत्री के समक्ष रखा जाना चाहिए था। दिनांक 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त को "केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश" के रूप में रखने के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति एक अनिवार्य शर्त थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी मंजूरी के अभाव में, हमारे विचार में, मात्र बैठक के कार्यवृत अपीलकर्ता को कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं देंगे।

25. दूसरे प्रतिवादी (भारत संघ) के अनुसार, यह बैठक केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल यानी मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन की पृष्ठभूमि में बुलाई गई थी, जो विमानों में भी अंतर्राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा प्रदान करता है और भारत 31.3.2008 को इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। भारत संघ का तर्क है कि 26.3.2013 को बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए, विमानों को मालिकों-पट्टादाताओं को लौटाने की अनुमति देना आवश्यक था। यूओआई का रुख यह है कि बैठक के कार्यवृत में केंद्र सरकार का निर्णय कानून के अनुरूप है और इसमें कानून का बल है। वित्तीय निहितार्थों से जुड़ा ऐसा निर्णय संवैधानिक योजना के संदर्भ में यानी संविधान के अनुच्छेद *77* की आवश्यकता के अनुपालन पर लिया जाना चाहिए। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि बैठक के कार्यवृत में वित्त विभाग की सहमति थी और संबंधित मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि या अनुमोदन किया गया था और ऐसे निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद *77*

के तहत बनाए गए कामकाज के नियमों के संदर्भ में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी निर्णय के अनुसार जारी किए गए नहीं दिखाए गए थे। बैठक के कार्यवृत्त केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में एक सामान्य या विशेष आदेश नहीं बनते हैं जब तक कि इसे संविधान के अनुच्छेद 77 (2) के तहत प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति के नाम पर एक आदेश जारी करके मंजूर और कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

26. आगे तर्क यह है कि विमान को रोकने के अधिकार को त्यागने का निर्णय लेने का एकमात्र विशेषाधिकार केंद्र सरकार के पास है और वर्तमान मामले में, डीआईएएल ने बैठक में भाग लेकर और बैठक में लिए गए निर्णय को स्वीकार करके अपना अधिकार छोड़ दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार है और अपीलकर्ता ने निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और इस प्रकार उसे इस संबंध में कोई भी आपत्ति उठाने से रोक दिया गया। जब बैठक के कार्यवृत्त को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार, इसे अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है।

27. हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्ब्रुई और अन्य में [(1973) 3 SCC 889], यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत बनाए गए बिहार राज्य के कामकाज के नियमों से निपट रहा था, जिसमें इस न्यायालय ने (पृ.895-896) पैरा 14-16) निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> 14. जहां कोई निर्धारण किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित है और उनकी उपेक्षा में किए गए कार्यों को अमान्य करने से उन व्यक्तियों को गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय होगा, जिनका कर्तव्य सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे निर्धारण को आम तौर पर मार्गदर्शन के लिए निर्देश

मात्र समझा जाता है। उन लोगों के बारे में जिन पर कर्तव्य लागू किया गया है (दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1952 एससी 181 देखें)।

15. हालाँकि, जहाँ किसी शासन या प्राधिकार को यह निर्देश दिया जाता है कि कुछ विनियमन या औपचारिकता का अनुपालन किया जाएगा, तो अधिकार या प्राधिकार के अधिग्रहण के लिए आवश्यक के रूप में इसका कड़ाई से पालन करना न तो अन्यायपूर्ण लगता है और न ही गलत (मैक्सवेल, क़ानून की व्याख्या देखें, 6 वां संस्करण, पृ.649-650)।

16. .....इसके अलावा, नियम 10(2) यह स्पष्ट करता है कि जहां किसी प्रस्ताव के लिए वित्त विभाग के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक है और परामर्श पर विभाग प्रस्ताव से सहमत नहीं है, प्रस्ताव तैयार करने वाला विभाग प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। केवल मंत्रिमंडल ही निर्णय लेने में सक्षम होगा। जब हम देखते हैं कि परामर्श के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की असहमति, प्रस्ताव तैयार करने वाले विभाग को उस पर आगे की कार्रवाई करने की शक्ति से वंचित कर देती है, तो एकमात्र निष्कर्ष यह संभव है कि शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व परामर्श एक आवश्यक शर्त है...।"

28. जब तक कि बैठक के कार्यवृत्त में संविधान के अनुच्छेद *77*(3) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता और इस प्रकार लिए गए निर्णयकी सूचना संबंधित व्यक्ति को नहीं दी जाती, तब तक उसे एक रिट याचिका में निर्देश जारी करके लागू नहीं किया जा सकता था।. मामले के गुण-दोष पर गौर किए बिना, दिनांक 26.3.2013 की बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में मामले का निपटारा करने में उच्च न्यायालय सही नहीं था और विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

29. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलकर्ता कानून के अनुसार संबंधित उत्तरदाताओं से अवतरण, पार्किंग या आवास शुल्क शुल्क की बकाया राशि वसूल करने के लिए भी स्वतंत्र है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील को अनुमति प्रदान की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।